



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 178 राँची, सोमवार,

18 अप्रैल, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2022

अधिसूचना संख्या-परि.वि.-(स्था०)-124/2015-337..कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं०-3/पद-01(ग)-01/2015 का०-2142, दिनांक-03.04.2022 के द्वारा श्री भयाम नारायण राम (झा०प्र०से०) को उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया है। उक्त के आलोक में श्री राम द्वारा दिनांक-06.04.2022 के अपराहन में उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची का प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में श्री भयाम नारायण राम (झा०प्र०से०), उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

3. श्री राम प्रावधानित नियम के तहत वाहनों की जाँच करेंगे एवं दण्ड शुल्क इत्यादि की राशि परिवहन विभाग के लिए कर्णांकित राजस्व संग्रहण संबंधी खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. श्री राम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अपने जिलान्तर्गत खनन क्षेत्र में अवैध वाहनों के परिचालन के रोकथाम हेतु व्यवसायिक वाहनों की नियमित सघन जाँच हो।

5. श्री मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वाहनों की जाँच दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलेश्वर महतो,
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।
